The Constitution of India

7/5/2020

LL.B II Sem

By Dr. Nishat Khan NAS (PG) College Meerut

Union legislature : The parliament

Ques 1. - Composition or organisation of Indian Parliament :-

भारतीय संसद की संरचना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत संघ के लिये एक संसद होगी जो -

(1) राष्ट्रपति
(2) लोक सभा
(3) राज्य सभा

से मिलकर बनेगी।

अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्य सभा की संरचना -

Composition of The Council of States

संविधान के अन्तर्गत राज्य सभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गयी है, इसमें 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित प्रतिनिधि

प्रतिनिधि; और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किये जाते है। जो साहित्य विज्ञान कला और सामाजिक सेवा के बारे मे विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते है।

राज्य सभा एक स्थाई सदन है। इसका कभी विघटन नही होता है, उसके एक तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष निवृत्त हो जाते है। और उनके स्थान पर नये सदस्यो का चुनाव किया जाता है इस रीति से प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक राज्य ~~सभा~~ सभा का सदस्य बना रहता है।

भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यो द्वारा अपने सदस्यो मे से ही किया जाता है।

राज्यसभा के सदस्यो की योग्यताए →

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार निम्न योग्यताए होना आवश्यक है।

(1) वह भारत का नागरिक हो।
(2) वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
3 ~~भारत~~ अनुच्छेद 102 के अनुसार वह लाभ के पद पर न हो।

(4)- वह सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित विकृत-चित्त न हो

(5) वह न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित न हो

6. अन्य ऐसी योग्यताए जो संसद ने विधि द्वारा निर्धारित की हो।

लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत अयोग्यतायें -

संसद की सदस्यता के लिये अयोग्यताए निम्न लिखित है

(1)- किसी चुनाव मे भ्रष्टाचार

2. किसी अपराध में दोषसिद्धि के फलस्वरूप दो या दो वर्षो से अधिक वर्षो का कारावास का दंड दिया गया हो।

(3) चुनाव के खर्च का हिसाब पेश करने मे असफल रहने पर

(4) किसी निगम मे जिनमे सरकार का 25% या इससे अधिक का स्वत्व अंश रखती हो।

(5) भ्रष्टाचार या सरकार के प्रति गैर-वफादारी के आधार पर सरकारी सेवा से बर्खास्तगी के कारण

दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता

52वें संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा अनु० 102 मे नया खण्ड जोड़ा गया जो यह उपबंधित करता है। कि संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य की सदस्य की सदस्यता दसवी अनुसूची मे उल्लिखित आधारो पर समाप्त हो जायेगी

~~दसवी अनुसूची के~~ (5)

दसवी अनुसूची के अनुसार संसद और विधान सभाओं के सदस्य, जो किसी राजनैतिक दल के सदस्य हैं की सदस्यता निम्न परिस्थितियो मे समाप्त हो जावेगी। यदि

(1) - वह राजनैतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड देता है।

(2) वह अपने दल के प्राधिकृत किसी व्यक्ति की पूर्व अनुमति के बिना सदन मे मत दान करता है या नही करता है, जिसे 15 दिन के भीतर माफ नही देता है।

(3) कोई निर्दलीय निर्वाचन के पश्चात किसी राजनैतिक दल मे सम्मिलित हो जाता है या

(4) कोई नामजद शपथ लेने की तारीख से 6 माह के पश्चात, किसी राजनैतिक दल मे सम्मलित हो जाता है

अपवाद - निम्न परिस्थितियो दल परिवर्तन नहोगा

(1) - दल के विभाजन के फल स्वरूप 1/3 सदस्य सदस्यता छोड़ दे।

(2) दल राजनैतिक दल का अन्य दल मे विलय हो जाये

(3) लोक सभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने दल की सदस्यता छोड दे।